मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1063
22.11.2019 को उत्तर के लिए

वायु प्रदूषण

1063. श्री निहाल चन्द चौहान :
श्री सुनील कुमार सिंह :
श्री प्रद्युत बोरदोलोई :
श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत :
श्री नामा नागेश्वर राव :
श्री बी.बी.पाटील :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित देश के विभिन्न शहरों में हवा की गुणवत्ता ''अति गंभीर'' के स्तर तक बिगड़ गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसका क्या कारण है;
(ख) क्या बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा कोई उत्सर्जन मानदंड तय किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार का वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए स्थायी आधार पर यातायात नियंत्रण योजना ''ऑड-ईवन'' को लागू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार का पूरे देश में पटाखों के निर्माण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या सरकार के पास देश में, विशेषरूप से महानगरों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से कार्यान्वयन की प्रक्रिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) दिल्ली की समग्र वायु गुणवत्ता स्थिति (2018-2019) के संदर्भ में दिल्ली की वायु गुणवत्ता में वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में (जनवरी 2019 से 2 नवंबर 2019 तक) समग्र सुधार हुआ है। यह उल्लेख किया गया है कि 'अच्छे' से 'मध्यम' दिनों की संख्या वर्ष 2018 में 157 की तुलना में वर्ष 2019 में बढ़कर 175 हो गई है। इसी प्रकार 'खराब' से 'गंभीर' दिनों की संख्या वर्ष 2018 में 149 की तुलना में घटकर 131 हो गई है। सीपीसीबी ने वर्ष 2014-2018 के दौरान राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को (एनएएक्यूएस) से अधिक वायु गुणवत्ता स्तरों के आधार पर दिल्ली और एनसीआर सहित अनुपालन न करने वाले 122 शहरों की पहचान की है।
(ख) अनुपालन न करने वाले शहरों के लिए अनुमोदित शहरी कार्य योजना के वास्तविक क्रियान्वयन हेतु राज्यों को वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31क के अधीन निदेश जारी किए गए हैं।

(ग) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने लगभग 63 उद्योग-विशिष्ट उत्सर्जन मानक तैयार किए हैं। दस उत्सर्जन मानकों (डीजल और एलपीजी/सीएनजी जेनसेट, पेट्रोल और एलपीजी/सीएनजी जेनसेट; डेडिकेटिड एलपीजी/सीएनजी जेनसेट. औद्योगिक बॉयलर; कांच, चूना पत्थर, पुनर्तापन भट्ठी, संधानी, मृत्तिका उद्योग और विमान पत्तन ध्वनि के लिए SO_2 और NO_x मानकों) को तैयार किया गया है और छः उत्सर्जन मानकों (ताप विद्युत संयंत्र, चीनी, मानव-निर्मित रेशे, उर्वरक, सीमेंन्ट और ईंट भट्ठी) को संशोधित किया गया है। इसके अतिरिक्त नवंबर 2009 में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक अधिसूचित किए गए थे तथा 12

मानदंड नामत: PM_{10}, $PM_{2.5}$, SO_2, NO_2, CO, NH_3, ओज़ोन, सीसा, बेन्ज़ीन, बेन्ज़ो-अ पायरीन, अर्सेनिक और निकेल विनिर्दिष्ट किए गए।

(घ) दिनांक 12 जनवरी, 2017 को अधिसूचित ग्रेडिड रिस्पांस कार्य योजना में आपातकालीन (अति गंभीर) उपायों के तौर पर न्यूनतम छूट के साथ ऑड-ईवन स्कीम को सूचीबद्ध किया गया है।

(ड.) ध्वनि नियम, 2000 में यथा विनिर्दिष्ट ध्वनि स्तर से अधिक वाले पटाखों का विनिर्माण, बिक्री या उपयोग करना प्रतिबंधित है तथा इसके लिए पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) द्वारा विनिर्दिष्ट सुरक्षा विनियमों का अनुपालन करना अपेक्षित है। भारत की नीति के अनुसार देश में नवीनतम वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर पटाखों के निर्माण और उपयोग को विनियमित करना है। सरकार ने सीएसआइआर-नीरी के माध्यम से प्रदूषण में 20-30% की कमी करते हुए पारि-अनुकूल पटाखों या हरित पटाखों के उत्पादन को बढ़ावा दिया है। पीईएसओ द्वारा अनुज्ञा-प्राप्त पटाखा उद्योग ने ऐसे पटाखों का विनिर्माण और विक्रय करना आरंभ कर दिया है।

(च) सरकार ने देश में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की क्रियान्वयन पद्धति को व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से अभिकल्पित किया है। इसके अलावा, सरकार ने देश भर में वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन हेतु अनेक उपाय पहले ही कर लिए हैं। इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं :

योजनाएं और निदेश

- दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए अभिज्ञात कार्य-कलापों हेतु समय-सीमाएं और कार्यान्वयन एजेंसी को अभिज्ञात करते हुए व्यापक कार्य योजना (सीएपी) को अधिसूचित किया गया है।
- केंद्रीय क्षेत्र की "प्रदूषण नियंत्रण" योजना के तहत देश भर में वायु प्रदूषण की समस्या से व्यापक ढंग से निपटने के लिए एक समयबद्ध राष्ट्र-स्तरीय कार्यनीति के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) की शुरुआत की गई है।
- एनसीएपी के तहत शहर विशेष की कार्य-योजना तैयार करने और उसे कार्यान्वित करने हेतु 102 ऐसे शहरों को अभिज्ञात किया गया है जहां वायु की गुणवत्ता परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है।
- दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण के विभिन्न स्तरों के लिए ग्रेडिड रिस्पांस कार्रवाई योजना को अधिसूचित किया गया है।
- वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1986 की धारा 18 (1) (ख) के तहत दिल्ली और एनसीआर सहित प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण के उपशमन हेतु 42/31 उपायों के कार्यान्वयन के लिए व्यापक तौर पर निदेश जारी किए गए हैं जिनमें वाहनजनित उत्सर्जनों, सड़क के धूल-कणों और बाहरी उत्सर्जनों के री-सस्पेंशन, बायोमास/नगरीय ठोस अपशिष्ट को जलाने, औद्योगिक प्रदूषण, निर्माण और विध्वंस कार्य-कलापों से संबंधित नियंत्रण और उपशमन के उपाय तथा अन्य सामान्य उपाय शामिल हैं।

निगरानी

- परिवेशी वायु गुणवत्ता के आकलन हेतु निगरानी तंत्र की स्थापना करना।
- राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को अधिसूचित करना।
- राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की शुरूआत।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) के सहयोग से अक्तूबर 2018 में दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता संबंधी पूर्व चेतावनी प्रणाली का कार्यान्वयन।

परिवहन

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1 अप्रैल, 2018 से और शेष भारत में 1 अप्रैल, 2020 से बीएस-IV ईंधन मानकों के स्थान पर सीधे बीएस-VI ईंधन मानक लागू करना।
- स्वच्छतर/वैकल्पिक ईंधन जैसेकि गैसीय ईंधन (सीएनजी, एलपीजी आदि), एथोनोल मिश्रण की शुरूआत करना।
- दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक वाहनों के लिए आरएफआइडी टैग के प्रयोग को अनिवार्य कर दिया गया है।

- सड़कों पर भीड़-भाड़ को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना और सड़कों में सुधार करना तथा और अधिक पुलों का निर्माण करना।
- दिल्ली से गैर-गंतव्य यातायात को विपथित करने के लिए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को उपयोग में लाना।
- प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाना।

उद्योग

- बदरपुर ताप विद्युत संयंत्र को दिनांक 15 अक्तूबर, 2018 से बंद कर दिया गया है।
- दिल्ली और एनसीआर में प्रचालन कर रहे सभी ईंट भट्ठों (लगभग 2600) को जिग-जैग प्रौद्योगिकी में बदल दिया गया है।
- दिल्ली और एनसीआर में सभी रैड श्रेणी के उद्योगों में ऑनलाइन सतत (24x7) निगरानी उपकरणों की संस्थापना।
- दिल्ली-एनसीआर में 4700 औद्योगिक इकाइयों में से लगभग 2400 इकाइयों को पीएनजी में परिवर्तित कर दिया गया है।
- औद्योगिक क्षेत्रों के लिए समय-समय पर उत्सर्जन मानकों में संशोधन करना।

बायोमास और ठोस अपशिष्ट

- वर्ष 2018-19 और 2019-20 की अवधि के दौरान 'पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फसल अवशिष्ट के स्व-स्थाने प्रबंधन के लिए कृषिगत मशीनीकरण के संवर्धन' संबंधी एक नयी केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम शुरू की गई है।
- बायोमास को जलाने पर रोक लगाना।
- दिल्ली में वर्तमान में 3 अपशिष्ट-से-ऊर्जा (W-t-E) संयंत्र प्रचालन में हैं।
- अपशिष्ट प्रबंधन के 6 नियमों को वर्ष 2016 में अधिसूचित किया गया है जिनमें ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट और खतरनाक अपशिष्ट शामिल हैं।

धूल

- निर्माण और विध्वंस कार्यकलापों के लिए धूल उपशमन उपायों संबंधी अधिसूचनाएं जारी करना।
- धूल दमनकारी उपकरणों के उपयोग के संबंध में दिल्ली एनसीआर में क्रियान्वयन अभिकरणों और राज्य बोर्डों को परामर्शिका जारी की गई है।

जनता से संपर्क

- यह मंत्रालय ग्रीन गुड डीड्स के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के लिए जनता की भागीदारी और नागरिकों में जागरूकता के सृजन को बढ़ावा दे रहा है जिसमें साइकिल चलाने, पानी और बिजली की बचत करने, पेड़ लगाने, वाहनों का समुचित अनुरक्षण करने, लेन अनुशासन को अपनाने और कार पूलिंग द्वारा सड़कों पर भीड़ को कम करने इत्यादि पर बल दिया गया है।
- दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण के मुद्दों से संबंधित सार्वजनिक शिकायतों के समाधान के लिए तंत्र का विकास (''समीर ऐप'', 'ई-मेल' (aircomplaints.cpcb@gov.in) और 'सोशल मीडिया नेटवर्क' (फेसबुक तथा ट्विटर के माध्यम से) इत्यादि।

*****